न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास डॉ.एन.के. गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 14/17 उपनिवेशन विविध 2017/00127

दिलावर खां पुत्र गुलामन्द खां जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल जाति सूथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर
2. सन्तोष देवी पत्नि ओम प्रकाश जाति सूथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर
3. सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.05.2018

1. प्रार्थी की और से यह प्रकरण दिनांक 06.4.15 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को चक 3–4 एस.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 50/19 के किला नम्बर 4,7,14,17 से 19, 22 ता 25 =10 बीधा कमाण्ड व किला नम्बर 5,6,15,16 =4 बीधा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 50/20 में किला नम्बर 5,8,9,12 ता 14, 17 ता 19, 24 =10 बीधा कमाण्ड व किला नम्बर 15,16,22,23,25=5 बीधा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 29 बीधा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 03.9.13 को अप्रार्थी की पात्रता की जांच किये बिना व सक्षम धोषित किये बिना आवंटन नियमों के विपरीत क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तमाम कार्यवाही आवंटन नियमों की अंनदेखी करते हुए कृषि भूमि आवंटन कर दिया। अतः राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र) में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा कर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रकरण में अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को चक 3–4 एस.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 50/19 के किला नम्बर 4,7,14,17 से 19, 22 ता 25 =10 बीधा कमाण्ड व किला नम्बर 5,6,15,16 =4 बीधा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 50/20 में किला नम्बर 5,8,9,12 ता 14, 17 ता 19, 24 =10 बीधा कमाण्ड व किला नम्बर 15,16,22,23,25=5 बीधा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 29 बीधा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 03.9.13 को प्रार्थी की पात्रता की जांच किये बिना व सक्षम धोषित किये बिना

तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने नियमों की अनदेखी कर विनिमय कमेटी की राय के बिना विनिमय में अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस है कि अप्रार्थी का फोटो फार्म सक्षम होने के उपरान्त सन् 2002 में चक 3–4 एस.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 51/26 की 22 बीधा भूमि आवंटन की गई थी, जो पूर्व से ही रमझेखां पुत्र फतेखां को आवंटित थी। मामला डब्ल आवंटन का होने के कारण दुबारा आवंटन किया गया, जिसमें कोई अनियमित्ता नहीं की गई है। संबंधित तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट लेकर आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों के तहत दिनांक 03.9.13 को भूमि का आवंटन किया गया है, जो आज भी बरकरार है। अप्रार्थी के धारण में आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अप्रार्थी भूमहीन व्यक्ति है, शिकायत कर्त्ता नाजायज दबाव बनाकर जमीन हडपना चाहता है। अप्रार्थी द्वारा बतौर भूमिहीन आवेदन किया था, जिसे आवंटन अधिकारी द्वारा पात्रता की जांच करते हुए सक्षम धोषित किया जाकर् सलाहकार समिति की राय से चक 3–4 एस.एच.एम. के मुरब्बा नं. 50/19 व 50/20 की 29 बीधा भूमि (कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि डबल आवंटन का मामला होने के कारण) आवंटित की गई है। अतः शिकायती प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल भूमिहीन आवंटन पत्रावली संख्या 1288/85 की आदेशिका साक्ष्य सबूत पेश होने पर जैरकार रहते हुए आगामी पेशी 25.9.92 नियत की गई। पत्रावली में अप्रार्थी के सक्षम धोषित होने बाबत कोई आदेशिका/विवरण अंकित नहीं है। सर्वप्रथम आवंटन दिनांक 08.8.2002 को चक 3–4 एस.एच.एम. के मु.नं. 51/26 =22 बीधा अनकमाण्ड के आवंटन आदेश पर यह नोट अंकित किया हुआ है "कि आवंटी को भविष्य में कमाण्ड भूमि का तबादला नहीं किया जायेगा।" तत्पश्चात् पत्रावली पुनः मुर्तिब होकर दिनांक 03.9.13 को किस आधार पर आवंटन हुआ यह स्पष्ट नहीं होने के कारण जांच का विषय बनता है। आवंटन नियम 22(3) से संबंधित कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ है, के बाबत विस्तृत जांच करवाई जाने हेतु प्रकरण सक्षम आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित करना हम उचित समझते है।

7. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आवंटन की बाबतं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत जांच करें। यदि जांच में यह पाया जावे कि प्रकरण में आवंटन नियमों अथवा अन्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो बिना विलम्ब के प्रकरण नियमानुसार सक्षम न्यायालय में पेश करें। मूल आवंटन पत्रावली संख्या 1288/85 आदेश की प्रति सहित उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रेषित की जावे।

8. आदेश आज दिनांक **23.05.2018** को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर,बीकानेर

न्यायालय जिला कलेक्टर
जिला कलक्टर, बीकानेर